

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

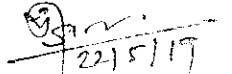
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 112 / 2019 दिनांक 23.05.2019

श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा (RJ0206), तत्कालीन न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण), जयपुर महानगर हाल विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-02, कोटा को दिनांक 19.08.2016 से 22.08.2016 तक 04 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री शर्मा की अनुपस्थिति में न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण), जयपुर महानगर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



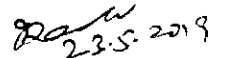
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/12/1996/ 4833

दिनांक : 23.05.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण), जयपुर महानगर को उनके पत्रांक 1120 दिनांक 09.05.2019 के सन्दर्भ में।
3. श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा (RJ0206), विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-02, कोटा।
4. न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण), जयपुर महानगर।
5. न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर।



सहायक रजिस्ट्रार